न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), राम सनेहीघाट, कोर्ट नं0-14, बाराबंकी।
मूलवाद संख्या-   /2023
CNR No. UPBB180003442023
रामसिंह आदि   बनाम   सोनू तिवारी आदि

25.09.2023

1. प्रार्थना-पत्र ग-6 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र ग-7 पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना गया।

2. वादीगण ने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि वादीगण गाटा सं० 658 रकबा 0.094 हे० के संक्रमणीय भूमिधर तथा काबिज दखील हैं, जो उक्त वाद में विवादित है। प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से कोई वास्ता व सरोकार न कभी रहा है और न है। प्रतिवादीगण दिनांक 28.08.2023 को अपने साथियों के साथ विवादित भूमि पर आए और वादीगण के विरोध करने पर जमीन खाली करवा लेने की एलानियां धमकी दी।

3. वादीगण ने अपने कथन के समर्थन में उद्धरण खतौनी, खसरा, नकल सी०एच० 41 व नकल नक्शा सी०एच० 45 की सत्यप्रतिलिपि दाखिल किये हैं। वाद के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा दाखिल दस्तावेज के अवलोकन से इस स्तर पर बिना प्रतिवादीगण को सुने एक पक्षीय निषेधाज्ञा जारी करने का आधार पर्याप्त नहीं है।

4. अतः प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादीगण वांछित पैरवी अन्दर तीन दिन करें। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र ग-6 दिनांक 23.11.2023 को पेश हो।

प्रभारी सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0-14, बाराबंकी।

25.09.2023

प्रार्थना-पत्र ग-9 वास्ते जारी करने कमीशन जरिए अमीन पर सुना। न्यायहित में स्वीकृत। वादीगण पैरवी करे। बाद पैरवी अमीन को रिट जारी हो। अमीन पक्षकारों को सूचित कर मौके का निरीक्षण करे और अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि तक न्यायालय में दाखिल करे।

प्रभारी सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0-14, बाराबंकी।